मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना

As on Report December, 2015

1	योजना का नाम	मुख्य्मंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना
2	**योजना का संक्षिप्तप परिचय**	योजना राज्य में 1 जनवरी 2009 से प्रारम्भ की गई। योजना के अन्तर्गत संबंधित श्रेणी के व्यक्ति या परिवार के सदस्य का समस्त राजकीय चिकित्सालयों के इन्डोर एवं आउटडोर में नि:शुल्क उपचार किया जाता है तथा आव श्यकता पड़ने पर नि :शुल्क इलाज हेतु एम्स नई दिल्ली, अथवा पीजीआई, चंडीगढ में रैफर भी किया जाता है। प्रारम्भ में योजना के अन्तर्गत केवल बीपीएल परिवारों को ही शामि ल किया गया। तत्प श्चात् समय-समय पर अन्य नई श्रेणियों के परिवारों/व्यक्तियों को भी योजना में सम्मिलित कर लिया गया।
3	**प्रारम्भं होने का वर्ष**	2009
4	**लाभान्वित वर्ग**	बीपीएल परिवार , स्टेट बीपीएल परिवार , आस्था कार्डधारी परिवार , एचआईवी/एड्स मरीज , वृद्धावस्था/विधवा/विकलांग पेन्शनधारी, अंत्योदय अन्न योजना में चयनित सहरिया परिवार के लाभार्थी, अन्नपूर्णा योजना के लाभार्थी कथौडी जनजाति के परिवार, मेहरानगढ दुर्ग दुखांतिका जोधपुर में मारे गये अथवा स्थायी रुप से नि :शक्ता व्यक्तियों के आश्रित माता- पिता सहित परिजन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित तथा अनुमोदित अनाथालयों **(Hostels)** में निवास कर रहे अनाथ बच्चे, राज्या सरकार द्वारा संचालित तथा अनुमोदित विशेष विद्यालयों में अध्यरयनरत शारीरिक रूप से विकलांग तथा मानसिक रूप से विमंदित बच्चेअ , सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सदनों में निवासरत महिलांए तथा थैलेसिमिया व हिमोफिलिया रोग के उपचार हेतु प्रदेश के थैलेसिमिया व हिमोफिलिया के समस्ति रोगी, नवजीवन योजना के समस्त लाभार्थी परिवार, राज्य की भोपा, बागरिया, बंजारा, गडिया- लाहोर, कंजर, सांसी, नट, मेव, मिरासी, जागा, जोगी, वाल्मिकी-हरिजन, रेबारी, मदारी, अल्लीशाह, सपेरा, रायसिख, भिस्ती आदि जातियों के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से अत्य, न्ति पिछडे हुए ऐसे परिवार जिनकी वार्षिक आय 1.00 लाख रूपये तक है, जयपुर बम ब्लास्ट 2008 में मारे गये व्यक्तियों के आश्रित परिवारजन एवं गंभीर रूप से घायल व्य क्ति तथा राज्य के बारां जिले की खैरवा जाति (पिछडा वर्ग) के समस्त परिवार। इसके अतिरिक्त प्रदेश के बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों की नि :संतान दंपत्तियों के यदि इलाज से संतान हो सकती है तो उसका खर्च सरकार द्वारा योजना के तहत वहन किया जायेगा तथा बीपीएल एवं स्टेट बीपीएल परिवारों के हार्ट, कैंसर एवं किडनी रोगियों को ईलाज हेतु चिन्हित निजी चिकित्सालयों में ईलाज करवाने पर प्रति रो गी अधिकतम 1.00 लाख रूपये तक की वित्तीय सहायता चिन्हित निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करवाई जायेगी।
5	**पात्रता**	संबंधित श्रेणी का कार्ड होने की स्थिति में ही संबंधित श्रेणी के व्यक्ति या परिवार के सदस्य को नि:शुल्क उपचार ग्रहण करने के पात्र माना जायेगा।

<table>
<tr><td>6</td><td>देय सुविधाएं</td><td>नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा (आउटडोर एवं इन्डोर)</td></tr>
<tr><td>7</td><td>सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया</td><td>संबंधित श्रेणी का व्यक्ति या परिवार का सदस्य संबंधित श्रेणी का कार्ड दिखाकर राज्य के समस्त राजकीय चिकित्सालयों में नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर नि:शुल्क इलाज हेतु एम्स नई दिल्ली, अथवा पीजीआई, चंडीगढ में रैफर भी किया जाता है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>योजना की प्रगति</td><td>1 जनवरी 2009 से 31 दिसम्बर 2015 (मरीज लाखों में, व्यय राशि करोडों में)
<table>
<tr><th>ओपीडी मरीज</th><th>ओपीडी मरीजों पर व्यय</th><th>आईपीडी मरीज</th><th>आईपीडी मरीजों पर व्यय</th><th>कुल मरीज</th><th>मरीजों पर कुल व्यय</th></tr>
<tr><td>237.52</td><td>122.47</td><td>19.06</td><td>146.47</td><td>256.58</td><td>268.94</td></tr>
</table>
(वित्तीय वर्ष 2014-15) (मरीज लाखों में, व्यय राशि करोडों में)
<table>
<tr><th>ओपीडी मरीज</th><th>ओपीडी मरीजों पर व्यय</th><th>आईपीडी मरीज</th><th>आईपीडी मरीजों पर व्यय</th><th>कुल मरीज</th><th>मरीजों पर कुल व्यय</th></tr>
<tr><td>35.48</td><td>19.37</td><td>2.04</td><td>22.07</td><td>37.52</td><td>41.44</td></tr>
</table>
वित्तीय वर्ष 2015-16 (दिसम्बर 2015 तक) (मरीज लाखों में, व्यय राशि करोडों में)
<table>
<tr><th>ओपीडी मरीज</th><th>ओपीडी मरीजों पर व्यय</th><th>आईपीडी मरीज</th><th>आईपीडी मरीजों पर व्यय</th><th>कुल मरीज</th><th>मरीजों पर कुल व्यय</th></tr>
<tr><td>27.33</td><td>11.67</td><td>2.07</td><td>14.30</td><td>29.40</td><td>25.97</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>9</td><td>सम्पर्क सूत्र</td><td>
मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन,
दूरभाष - 0141-2221590
संबंधित संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर
निदेशक, अस्पताल प्रशासन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं , दूरभाष - 0141-2229858, 2225653
प्रधानाचार्य/नियंत्रक संबंधित मेडिकल कॉलेज
परियोजना निदेशक, एमएमजेआरके, दूरभाष - 0141-5110731
संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, संबंधित जिला चिकित्सालय
</td></tr>
</table>